फर्म का नाम ....

Name of the Firm: ____

आर.एस .टी ./लाइसेंस न-/पंजीकरण स./टिन न..

R.S.T./C.S.T./Licence/Regd./TIN No.______________________________

सेवा मे

To

प्राचार्य

The Principal,

जवाहर नवोदय विद्यालय

Jawahar Navodaya Vidyalaya,

सग्गा , करनाल

Sagga, Karnal.

विषय : ....आपूर्ति हेतु निविदा

Sub: Tender for the supply of ....

श्रीमान जी ,

Sir,

आपके द्वारा दैनिक भास्कर हिंदी मे दिनाक **25-05-2017 के प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ मे आपके द्वारा जारी की गई नियम व शर्तो के अनुसार मै नीचे दी गई वस्तुओ के निविदा के दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ**

With reference to your advertisement for the above cited items Published in Dainik Bhaskar Hindi dated 25.05.2017. in accordance with the term and conditions of your tender form issued to me for the purpose, I tender the rates of the mentioned items:-

क्रम स- **S.No.**	वस्तु का नाम **Name of items**	**नमूना** Specification	**दरें** **Rate**

नियम एवं शर्ते :-

Terms & conditions:-

प्रमाण पत्र

CERTIFICATE

मै प्रमाणित करता हूँ कि आपके द्वारा मुझे जारी की गई निविदा प्रपत्र मे वर्णित नियम एवं शर्ते स्वीकार है । आपूर्ति आदेश मे दर्शाई गई नियम एवं शर्ते यदि कोई हैं तो मुझे स्वीकार होगी ।

I hereby certify that all the terms & conditions mentioned in the tender form issued to me, are accepted. The other terms & conditions if any, mentioned in the supply order will also be accepted to us.

गवाह :

Witness:-

आपूर्तिकर्ता के हस्ताक्षर व फर्म की मोहर

Signature of Tenderer & Seal of the firm

दिनांकः

Date:

tokgj uoksn; fo|ky; lXxk ftyk djuky

fufonk ,o lfonk dh lkekU; 'krs

1. जवाहर नवोदय विद्यालय सग्गा जिला–करनाल हरियाणा की ओर से अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक .20.06.2017. समय.सॉय 4.00 बजे तक छात्र–छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग में आने वाले सामान हेतु सत्र 2017–18 के लिए मोहरबन्द निविदाएं आंमत्रित की जाती है ।
2. निविदा के लिफाफे पर जिस सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है । उसका उल्लेख किया जाना अनिवार्य है । उदाहरणार्थ फर्नीचर की निविदा में लिफाफे पर फर्नीचर आपूर्ति हेतु निविदा 2017–18 स्पष्टतया लिखा जाना अनिवार्य है ।
3. निविदाएं जवाहर नवोदय विद्यालय सग्गा के प्राचार्य कक्ष में दिनांक 21.06. 2017 को सुबह 10.00..बजे खोली जाएगी ।
4. सामग्री आपूर्ति हेतु दरें, निविदा फार्म की शर्ते, जिनका उल्लेख इस निविदा प्रपत्र में किया जा रहा है, के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदा दाता को प्रपत्र की शर्तो पर सहमति हेतु हस्ताक्षर करने होंगे ।
5. निविदा में अंकित की गयी दरें समस्त करों जैसे वेट कर, उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों सहित एफ.ओ.आर. जवाहर नवोदय विद्यालय सग्गा होनी चाहिए ।
6. निविदा फार्म साफ–सुथरे ढंग से भरा जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की काट–छाट यथा संभव नही करें । यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना अति–आवश्यक है तो उसे साफ–साफ तरीके से करते हुए परिवर्तन करें तथा किये गये परिवर्तन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर कर सत्यापित करें । परन्तु किसी भी दशा में ओवर राईटिंग स्वीकार्य नही की जायेगी ।
7. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है तथा वह न्यूनतम दर प्रस्तुत करे वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है । अद्योहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये निरस्त कर सकते हैं ।
8. निविदा में स्वीकृत दरें 30.06.2018 तक के लिए मान्य होगी जिसके आधार पर निविदा स्वीकार होने पर यह निविदादाता व निविदाकर्ता के बीच एक अनुबन्ध हो जाता है । जिसके आधार पर स्वीकृत निविदादाता निविदा की शर्तो के अनुरूप आपूर्ति/कार्य करेगा ।
9. निविदा के साथ जमा करायी जाने वाली धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) केवल बैंक डिमांड ड्राफट द्वारा स्वीकार की जायेगी । बैंक डिमांड डांफट प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय सग्गा जिला करनाल के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक पर देय होगा । जिन निविदाकर्ताओं की निविदा स्वीकार नहीं होगी । उन्हें धरोहर राशि निविदा की अन्तिम स्वीकृति होने की तारीख से एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी । यदि निविदादाता धरोहर राशि के भुगतान में छुट चाहता है तो वह सम्बन्धित सरकारी आदेश की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करेगा जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित फर्म धरोहर राशि जमा कराने की छूट हेतु पात्रता रखती है ।
10. यदि कोई सरकारी संस्था निविदा प्रस्तुत करना चाहती है तो वह अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करें ।

11. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार हो जायेगी । उन्हें कुल अनुमानित क्रय राशि के 10 प्रतिशत के बराबर सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी । इस सुरक्षा राशि में उनके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि समायोजित कर दी जायेगी तथा शेष राशि उन्हें निश्चित अवधि 15 दिन के अन्दर जमा करवानी होगी तथा इस सुरक्षा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।
12. विद्यालय द्वारा स्वीकृत निविदादाता की सुरक्षित जमा राशि अनुबन्ध समाप्ति की तिथी से कुल छः माह तक सुरक्षा की दृष्टि से रोकी जायेगी । यदि निविदा अनुबन्ध वर्ष में किसी त्रुटि के कारण से आपूर्ति से किसी प्रकार की हानि विद्यालय को होती है तो उस हानि की प्रतिपूर्ति सुरक्षा राशि से की जायेगी अन्यथा 06 माह के बाद अवमुक्त कर दी जायेगी ।
13. निविदा देने वाले व्यक्ति की, जिसकी निविदा स्वीकृत की गयी है को आदेश देगे की तारीख में लिखी गई समय अवधि के भीतर विद्यालय को माल की आपूर्ति करनी होगी यदि अनुमोदित निविदादाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर माल भेजने में असफल रहता है तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा ि कवह माल की आपूर्ति खुले बाजार से कर ले या निविदा की आपूर्ति/कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को देकर पूरा करवा ले । इस सम्बन्ध में अधिक भुगतान की गई राशि की कटौती निविदादाता/अधीकृत आपूर्तिकर्ता की सुरक्षित जमा राशि से की जायेगी । यदि इस सम्बन्ध में अधिक भुगतान राशि निविदादाता की जमा सुरक्षित राशि से अधिक होगी तो अधिक भुगतान की भरपाई की जिम्मेदारी भी निविदादाता/अधिकृत आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी तथा उसकी वसूली सम्बन्धित फर्म से की जायेगी तथा ऐसी फर्म को भविष्य के लिए ब्लैकलिस्टेट घोषित कर दिया जायेगा ।
14. यदि किसी सामान की सप्लाई के साथ निर्माता द्वारा कोई भी गिफट सामान या स्कीम दिया जा रहा है तो उस पर क्रेता का अधिकार होगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के साथ दिया जायेगा ।
15. निविदा में दर्शायी गयी मात्रा अनुमानित है, जिसे निविदा जारीकर्ता/प्राचार्य द्वारा आवश्यकता अनुसार बिना कारण बताये घटाया या बढ़ाया जा सकता है ।
16. निविदादाता को प्रिन्टेड एम.आर.पी. एवं अनुमोदित दर दोनों में से जो भी कम हो का भुगतान किया जायेगा ।
17. प्रिन्टेड एम.आर.पी. में जब–जब परिवर्तन होगा तो प्राचार्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वो बढी हुई एम.आर.पी. का सत्यापन कमेटी के माध्यम से खुले बाजार से कराये और यदि सप्लायर फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी एम.आर.पी. दर में कोई अन्तर पाया जाता है तो प्राचार्य को यह अधिकार प्राप्त है कि प्राचार्य निविदा करार को निरस्त कर सामग्री अन्यत्र स्थान से आपूर्ति कराकर हानि की भरपाई सप्लायर फर्म से करवा सकता है तथा उसके द्वारा जमा करायी गयी सुरक्षा राशि को जब्त कर सकता है ।
18. निविदा फार्म में जिस सामग्री के लिए नमूना मांगा गया है के संबंध में निविदादाता निविदा के साथ या निविदा खुलने के समय मांगा गया नमूना साथ में लायेगें । यदि आपूर्ति की जाने वाली वस्तु कोई मशीन है उस दशा में निविदादाता मशीन का स्थापन अद्योहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार करेगा तथा उसकों संचालित कर दिखायेगा तथा संबंधित कर्मचारियों को उसका निशुल्क प्रशिक्षण भी देगा ।

19. आपूर्ति की गयी सामग्री की जांच अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी । यदि आपूर्ति की गयी सामग्री स्वीकृत निविदा/आपूर्ति आदेश के अनुसार/विनिर्दशन के अनुसार नही पायी गयी तो आपूर्ति को अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है । निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर आपूर्ति की गयी सामग्री को बदलेगा अथवा वापस ले जाएगा ।
20. ऐसी सामग्री जैसे कपडा, स्टेशनरी, जूता चप्पल जिसकी गुणवत्ता की जॉच किसी सरकारी लैब में करवायी जानी है, इस प्रकार की जॉच का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा । जॉच ऐजेन्सी का चयन अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जाएगा ।
21. निविदा उन्ही फर्मो की स्वीकार की जाएगी जो उस विशिष्ट सामग्री का व्यापार करती हो तथा उसके निम्मित फर्म को उस सामग्री के व्यापार करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । उदाहरणार्थ यदि खाद्य सामग्री का आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत करना है तो फर्म को खाद्य सामग्री के व्यापार से संबंधित वैट प्रमाण पत्र व वैट नम्बर प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्टतया दर्शाया गया हो कि संबंधित फर्म खाद्य सामग्री के व्यापार करने हेतु पंजीकृत है ।
22. निविदादाता सामग्री को ठीक तरह से पैक करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि उसे जहाज,रेल, सडक या वायुयान द्वारा साधारण दशा में भेजते समय नुकसान न हो तथा सामग्री अच्छी दशा में नियत स्थान पर प्राप्त की जा सके । किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान न हो तथा सामग्री अच्छी दशा में नियत स्थान पर प्राप्त की जा सके । किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट, लीक, सड़क, दुर्घटना होने या अन्य कमी की घटना के कारण हुई हानि के लिए निविदादाता/आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगे और उस हानि की भरपायी उन्हीं के द्वारा की जाएगी । अद्योहस्ताक्षरी इस प्रकार से हुई हानि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे ।
23. आपूर्तिकर्ता फर्म को किये जाने वाले भुगतान के निमित्त जारी बैंक ड्राफट, आर.टी,जी.एस., एन.ई.एफ.टी. इत्यादि पर होने वाले व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे ।
24. विवादास्पद आईटमों के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद आईटमों का निपटारा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अथवा उसके द्वारा नामित कॅमेटी सदस्य जिसमें एक प्रतिनिधि आपूर्तिकर्ता फर्म का भी होगा, कि आपसी सहमति के निर्णय अनुसार होगा ।
25. क्रय की जाने वाली वस्तुओं के विशिष्ट विवरण जैसे साईज, मैक, सैम्पल, पेटेन्ट क्वालिटी एवं मात्रा एवं टैण्डर की शर्ते आदि जवाहर नवादेय विद्यालय के कार्यालय से कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है । इन्हे प्रत्येक निविदादाता अपने निविदा देने से पूर्व देख सकता है या प्राप्त कर सकता है । यदि उसे इन शर्तो या विशेष विवरणों या चित्र आदि के किसी भी भाग के अर्थ के बारे में
26. यदि निविदा फर्नीचर सप्लाई के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर मैटल की प्लेट लगवायेगें । जिस पर फर्म का नाम तथा सप्लाई का वर्ष अंकित होगा ।
27. इन सामान्य शर्तो के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची तथा विशिष्ट सामग्री अनुसार शर्तो का विवरण इस निविदा फार्म के साथ संलग्न है ।

28. ऐसी सामग्री जिसके निमित्त नमूना भी मांगा गया है निविदादाता द्वारा प्रस्तुत नमूने की कीमत निविदा प्रपत्र के अनुसार भुगतान की जायेगी तथा नमूने पर क्रय सलाहकार समिति के सदस्यों व निविदादाता के हस्ताक्षर होंगे । नमूने को विद्वालय में सुरक्षित रखा जायेगा । नमूना किसी दशा में निविदादाता को वापस नहीं किया जायेगा ।

29. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जिला करनाल होगा ।

30. निविदादाता निविदा के साथ निम्न सत्यापित प्रमाण संलग्न करेंगे ।

अ. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर व टैन नम्बर की सत्यापित प्रतिलिपि।

ब. निर्धारित धरोहर राशि ।

स. उपकरण फर्नीचर आदि की सप्लाई के लिए निर्दिष्टीकरण तथा छपा हुआ द सूचीपत्र तथा अन्य लिखित सामग्री ।

द. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो संबंधित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक का प्रमाण पत्र ।

य. जहां लागू हो, टिन/बिक्री कर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति ।

र. फर्म के बैक खाते का नम्बर व आर.टी.जी.एस. नम्बर

दिनांकः

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय सग्गा
जिला करनाल ।

<u>धरोहर राशि :–</u>

निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि..का बैंक ड्राफट क्रमांक ....दिनांक..............................जो कि................................बैंक द्वारा प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय सग्गा जिला करनाल के नाम से जारी किया गया है संलग्न कर दिया गया है ।

निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रूपये.....................................दिनांक.................... ....को जवाहर नवोदय विद्यालय सग्गा जिला करनाल के रसीद क्रमांक नं0...... ....दिनांक...........................द्वारा नगद जमा करा दी गयी है

31.उक्त धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में लिखित प्रावधानों के अनुसार अंकित की गयी शर्तो के उल्लंघन पर जब्त किये जाने का अधिकार निविदाकर्ता को होगा ।
निविदा प्रपत्र में अंकित शर्ते संख्या 01 से 31 तक समस्त शर्ते हमें मान्य है ।

दिनांकः.......................
स्थान...........................

निविदा भरने वाले का नाम व हस्ताक्षर